फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

मदीना बनाम नजमा आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 31 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
17.02.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थीया की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा 27 एनटीआर तहसील नोहर संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 48/44 प0नं0 326/427 मु0नं0 32 के कि0 नं0 4/1, 7, 13, 14, 17, 18 की कुल 1.4290 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीया रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 27/03/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
27/3/23	वकील प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थीया अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि.-सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25/4/23 को पेश हो।	
12/4/23	वकील प्रार्थीया के प्रार्थना [illegible] पेशी में ली गई। प्रार्थीया के वकील ने [illegible] किया कि पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो [illegible] है। मुताबिक राजीनामा प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमावें। प्रार्थीया स्वयं द्वारा प्रार्थना-पत्र नहीं चलाने के कारण प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner